न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्या :- 483/2019

दयाशंकर पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण, निवासी कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1 मोहन पुत्र रामगोपाल
2 केदार पुत्र रामगोपाल
3 निर्मल कुमार पुत्र निरंजन कुमार
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 16, कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
5 उप पंजीयक चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्द अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 18/09/2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 345/2015 उनवान मोहन व अन्य बनाम दयाशंकर अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :- 21/9/2021

उपस्थित:-

श्री ज्ञानेश्वर बाढ़दार एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री निर्मल कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर द्वारा वाद पत्र संख्या 345/2015 बउनवानी मोहन व अन्य बनाम दयाशंकर में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 18/09/2019 के विरुद्द अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 5005 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5112 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5113 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5114 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5115 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

5116 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5117 रकबा 0.60 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 5118 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो कि गलत दर्ज है | वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 651, 667, 666 है एवं इससे पूर्व वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2070, 1932, 1933, 1935, 1950, 1951 एवं 1954 थे जो राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा दुर्गालाल व भौरीलाल के सम्वत 2004 से 2023 में दर्ज थी इसलिए वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमे वादी का जन्मजात हित निहित है | वादी के पिता ने वादग्रस्त आराजी को अपने बयान देकर अपने पुत्र दयाशंकर अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगवाया था, उस समय प्रतिवादी नम्बर 1 नाबालिक था उसके पास आय का कोई स्त्रोत नही था | एक तरफ सारी सम्पत्ति रामगोपाल की थी तथा उनके चारो पुत्र इस पर एक समान हक़ व हिस्सा रखते है उसी अनुसार 1/4 पर वादी व 1/4, 1/4 पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है | कानूनन भी पैतृक सम्पत्ति विरासत के आधार पर ही वितरित होती है किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज के अभाव में अगर कोई नामान्तकरण खोला जाता है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी है | प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाम आराजीयात गलत दर्ज होने की पूर्णतया जानकारी है तथा पिता के जीवनकाल तक प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी अकेला हिस्सा होने की बात नही की, ना ही कभी हिस्सा देने के लिए मना किया, सभी भाई वादग्रस्त आराजी को मौके पर बाँट रखा था तथा लगातार उपयोग-उपभोग कर रहे है | वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है जो विरासत में वादी के दादा दुर्गालाल से प्राप्त हुई है जिसमे वादी का जन्मजात हक़ व हिस्सा निहित है | वादी ने कहा कि मेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम लगवा दो तो प्रतिवादी संख्या 1 पहले तो वादी के नाम हिस्सा लगवाने के लिए आश्वस्त करता रहा किन्तु अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर आया और वादग्रस्त आराजी को बैचान करने के लिए दिखाने लगा तो वादी ने पूछा की वादग्रस्त आराजी में से 1/4 हिस्सा मेरा है व में काबिज हूँ तो प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी का बैचान में दादागिरी से करने वाले लोगो को करा दूंगा जो दादागिरी के बल पर तुमसे जबरन कब्जा ले लेंगे | प्रतिवादी संख्या 1 की धमकी को देखते हुए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय से घोषणा की डिक्री खातेदारी प्राप्त करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वादीगण के उपयोग-उपभोग में बाधा नही डाले, वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरुद्द प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वाद में वर्णित आराजी में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावे | प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में वादीगण के उपयोग-उपभोग में बाधा न डाले, वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये जबरन बेदखल नही करे. वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य रहन, दान, बैचान नही करे. न ही किसी अन्य से करावे | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस पर मनन निर्णय दिनांक 18/09/2019 के माध्यम से वादी वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/4 हिस्से का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर, राजस्व रिकार्ड में निर्णयानुसार इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार को आदेश पारित किये | अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की |

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई | वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई | दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने अपने वाद में भूमि को पैतृक भूमि होना बताकर भूमि में जन्मसिद्द अधिकार होना मानकर वाद के माध्यम से खातेदारी चाही है किन्तु वादी ने यह कही भी साबित नही किया कि वादी का जन्म दादा दुर्गालाल के जीवनकाल में हो गया था और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभावी होने के बाद दुर्गालाल जी की मृत्यु हुई जिससे वादी को बतौर सहदायी धारा 6 के अनुसार अधिकारी प्राप्त होते है | अधीनस्थ न्यायलय द्वारा इस महत्वपूर्ण क़ानूनी बिन्दु का निर्धारण मात्र कयास के आधार पर तनकीयात में किया है जिस बाबत पत्रावली में कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नही है | आराजीयात का आपसी सहमति से बंटवारा हुआ था एवं बंटवारा अनुसार ही अलग-अलग नामान्तकरण के जरिए आराजीयात पक्षकारान के नाम दर्ज हुई | आराजीयात का जब विधि अनुसार आपसी सहमती से पूर्व में ही बंटवारा हो चूका है एवं पक्षकारान बंटवारा अनुसार आराजीयात पर काबिज काश्त है तो विरासत के आधार पर आराजीयात की नये सिरे से घोषणा विधिनुसार नही की जा सकती है | रेस्पोडेन्ट को यदि बंटवारे में आई भूमि बाबत कोई आपत्ति है तो रेस्पोडेन्ट/वादी को बंटवारे को चुनौती देनी चाहिए थी, घोषणा के वाद के आधार पर बंटवारे में आई भूमि बाबत कोई अनुतोष कानूनन देय योग्य नही है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओ पर ध्यान न देकर आराजीयात को पैतृक भूमि मानकर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रेस्पोडेन्ट/वादी को खातेदारी गलत प्रदान की है | अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 18/09/2019 ख़ारिज फरमाया जावे | वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजीयात को पैतृक सम्पत्ति ना होना मानकर भौरीलाल की सम्पत्ति होना एवं भौरीलाल द्वारा रामगोपाल को व रामगोपाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाया जाना बताया है जिस बाबत साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी 2 नामान्तकरण संख्या 16 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया | नामान्तकरण संख्या 16 विधिनुसार निष्पादित नही हुआ है | कृषि भूमियाँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 अनुसार ही नियमित होती है | नामान्तकरण संख्या 16 ना तो विरासत का नामान्तकरण है एवं ना ही रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खोला गया है एवं इस कारण नामान्तकरण संख्या 16 का कोई विधिक आधार नही है एवं ऐसे नामान्तकरण के आधार पर किसी को कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है | प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो कि भौरीलाल जी ने आराजीयात रामगोपाल ने नाम लगायी हो | प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि भौरीलाल जी ने आराजीयात रामगोपाल को एवं रामगोपाल ने प्रतिवादी संख्या 1 को आराजीयात किस आधार पर प्रदान की | प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है उनका निराकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में पूर्व में ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया जा चूका है | अपीलार्थी ने मिथ्या आधारों पर अपील प्रस्तुत की है, जो ख़ारिज फरमाई जावे |

4. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के परिपेक्ष में वाद के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे वादी द्वारा वाद में अंकित यह तथ्य तो स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजी वादी के दादा दुर्गालाल व भौरीलाल के खाते की आराजीयात थी जबकि वादी वाद पत्र में सम्पूर्ण आराजीयात को उनके पिता रामगोपाल के खाते की आराजीयात होना एवं रामगोपाल द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात रामगोपाल के बड़े पुत्र दयाशंकर के नाम गलत रूप से दर्ज कराया जाना अंकित किया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय के माध्यम से तनकी संख्या 1 के निस्तारण में यह तथ्य अंकित किया है कि प्रश्नगत आराजी मूलतः भौरीलाल व दुर्गालाल के नाम दर्ज थी जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजी भौरीलाल व दुर्गालाल के सहखाते की आराजीयात थी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर सम्पूर्ण आराजीयात दुर्गालाल के बड़े पुत्र रामगोपाल की दर्शाते हुए रामगोपाल के वरिष्ठ पुत्र दयाशंकर के नाम होना जाहिर किया है जबकि प्रश्नगत आराजी में भौरीलाल का भी हिस्सा दर्ज है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अस्पष्ट (Non speaking) निर्णय की परिभाषा में आता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्पष्ट निर्णय पारित किया गया है | इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ख़ारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18/09/2019 निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है |

5. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |
6. निर्णय आज दिनांक 21|9|2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर